

फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम चैतनाक्षी देवी -

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/2023

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित एवं अप्रार्थी संख्या 18 लगा. 21 उपास्थित। पत्रावली वास्ते जवाब T.I. अप्रार्थी संख्या 18 लगा. 21 एवं शेष अप्रार्थीगण की इंतजार तलब हेतु दिनांक 5/11/24 को पेश हो</p>	
5/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्वय कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक... 26/11/24 को पेश हो।</p>	
6/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 18 लगा 21 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 21 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि दस्तगत प्रकरण के संबंध में यह न्यायालय में भगवती बनाम चैतनी देवी उनवानी प्रकरण विचाराधीन है एवं विवादित आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारी की घोषणा चाहने हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है एवं वी.आई भी कन्वर्ज किया हुआ है जिसका नोट राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं दस्तगत प्रार्थना पत्र में भी प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पत्रावली का अवलोकन करने एवं</p>	

फर्द अहकाम

शंकर लाल बनाम केलरी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>उत्तवानी प्रकरण भगवती बनाम धन्नी देवी का अन्तर्गत करने पर एक पत्र है कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के संबंध में जलेश्वरी अधिकारी की बोधना हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है एवं विचाराधीन प्रकरण के साथ प्रस्तुत टी-आई प्रार्थना पत्र वाद के निर्णय तक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। मूल वाद जो इस प्रार्थना पत्र से संबंधित है जिले, भगवती बनाम धन्नी देवी के साथ सम्बन्धित किया गया है उसे विचार में इस प्रार्थना पत्र अध्यापी विषय आज्ञा की भांति जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अध्यापी विषय आज्ञा का खारिज किया जाता है</p> <p>पत्रावली केलरी सुमार दोहर- नम्बर है कत दोहर वाद नकलील दाखिल दफतर ही है</p>